

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(प्रशासनिक सुधार विभाग)
सातवां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं० फा० 17/14/03-प्र०सु०/557-716/L

दिनांक 16/01/12

अधिसूचना

सं० फा० 17/14/03-प्र०सु० इस विभाग की दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं० फा० 17/06/2001/प्र०सु० अद्यतन यथा संशोधित के आंशिक आशोधन में तथा दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम सं० 7) की धारा 2 के खंड(क) एवं (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उनके नियंत्रणाधीन विभागों/स्वायत्त निकायों/स्थानीय निकायों/उपक्रमों के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ यहां संलग्न परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-11 में निम्नलिखित संशोधन/सम्मिलन करते हैं, अर्थात:-

I. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट-1 में, निम्न इस प्रकार प्रतिस्थापित होंगे: अर्थात :-

क्रम सं०	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
09.	कला महाविद्यालय	प्रिंसिपल
14.	दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज/ दिल्ली प्रौद्योगिकरण विश्वविद्यालय	संयुक्त पंजीयक
24.	शिक्षा विभाग	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय, पत्राचार, विज्ञान एवं टेलीविजन, खेल, शारीरिक शिक्षा व अन्य मामले जो सम्बंधित जिलों के अंतर्गत नहीं आते। अतिरिक्त निदेशक (एक्ट) सहायता प्राप्त व गैर सहायता प्राप्त स्कूलों से सम्बंधित मामलों में।
29.	खाद्य एवं सम्भरण विभाग	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
68.	समाज कल्याण विभाग	निदेशक, समाज कल्याण विभाग

II. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट-1 में, निम्न इस प्रकार सम्मिलित होंगे: अर्थात :-

क्रम सं०	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
79.	आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
80.	अत्तर सेन जैन नेत्र एवं सामान्य अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
81.	बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
82.	भगवान महावीर अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
83.	डा० हेडगेवार आरोग्य संस्थान, कड़कड़डूमा	चिकित्सा अधीक्षक
84.	डा० एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
85.	गुरु गोबिन्द सिंह सरकारी अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
86.	जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
87.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
88.	महात्मा बालिमी अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
89.	मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइन्स	निदेशक प्रिंसिपल

90.	पं० मदन मोहन मालवीय अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
91.	राजीव गांधी अति विशिष्ट अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
92.	राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
93.	सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
94.	सत्यवादी राजा हरीश चन्द्र अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
95.	महिला एवं बाल विकास	निदेशक, महिला एवं बाल विकास

III. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट-11 में, निम्न इस प्रकार प्रतिस्थापित/ सम्मिलित होंगे: अर्थात :-

क्रम सं०	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
38.	दिल्ली नगर निगम	उपायुक्त (भूमि एवं सम्पदा), भूमि एवं सम्पदा विभाग से सम्बंधित मामलों में।
		उपायुक्त (फैक्ट्री लाइसेंसिंग), फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग से सम्बंधित मामलों में।
		उपायुक्त (सी.एल एवं ई.सी.), केन्द्रीय लाइसेंसिंग एवं प्रवर्तन कक्ष से सम्बंधित मामलों में।
		उपायुक्त (लाभकारी परियोजना कक्ष), लाभकारी परियोजना कक्ष से सम्बंधित मामलों में।
		उपायुक्त (टोल टैक्स), टोल टैक्स विभाग से सम्बंधित मामलों में।
		उपायुक्त (विज्ञापन), विज्ञापन विभाग से सम्बंधित मामलों में।
		मुख्य निदेशक (डी.ई.एम.एस.) स्वच्छता एवं सफाई विभाग से सम्बंधित मामलों में।
		निदेशक (सी.एस.डी.), समुदाय सेवा विभाग से सम्बंधित मामलों में।
		मुख्य श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम कल्याण विभाग से सम्बंधित मामलों में।
		निदेशक (पी एंड एस), पी एंड एस विभाग से सम्बंधित मामलों में।
		निदेशक (पी एंड आई), पी एंड आई विभाग से सम्बंधित मामलों में।
		निगम सचिव, निगम सचिव के कार्यालय से सम्बंधित मामलों में।
		आयुक्त के सचिव, आयुक्त कार्यालय से सम्बंधित मामलों में।
		अतिरिक्त उपायुक्त (मुख्यालय), मुख्यालय तथा अन्य सभी सम्बंधित मामले जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा न देखे गए हों।
		निदेशक (कार्मिक), स्थापना विभाग से सम्बंधित मामलों में।
44.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	निदेशक (प्रशासन)

45.	सेंट जोन ऐम्बुलेंस ब्रिगेड	निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएँ)/पदेन आयुक्त (सेंट जोन ऐम्बुलेंस ब्रिगेड)
46.	सुश्रता ट्रॉमा सेन्टर	चिकित्सा अधीक्षक

IV. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट- II में, निम्न इस प्रकार हटाये जाएंगे:
अर्थात:-

क्रम सं०	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
38.	दिल्ली नगर निगम	अतिरिक्त आयुक्त (स्लम एवं जे.जे.) स्लम एवं जे.जे. विभाग से सम्बंधित मामलों में
		अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) भूमि एवं सम्पदा विभाग, फैंक्ट्री लाईसंसिंग विभाग, लाभकारी परियोजना कक्ष, टोल टैक्स विभाग, विज्ञापन विभाग से सम्बंधित मामलों में
		निदेशक (सी.एस.ई.) स्वच्छता एवं सफाई विभाग से सम्बंधित मामलों में
		अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय), श्रम कल्याण विभाग, समुदाय सेवा विभाग तथा अन्य सभी सम्बंधित मामले जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा न देखे गए हों।
		अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिक) केन्द्रीय स्थापना विभाग से सम्बंधित मामलों में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके तम पर,

(हस्ताक्षर)

(डॉ० एम. एम. कुट्टी)
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित:-

1. समस्त प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
3. समस्त स्थानीय निकाय/स्वायत्त निकाय/उपक्रम तथा दिल्ली सरकार के स्वामित्व या द्वारा पोषित अन्य संस्थाएं।
4. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्रियों के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
5. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
6. उप सचिव (समन्वय), समन्वय शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
7. लाईब्रेरियन, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली।

सीमा बावा
16/1/2012

(सीमा बावा)

उपनिदेशक (प्रशासनिक सुधार)

दूरभाष: 23392422

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

Government of National Capital Territory of Delhi
(Administrative Reforms Department)
7th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002.

No. F.17/14/03-AR/ 557 - 716/C

Delhi the 16/01/12 2012

NOTIFICATION

No. F.17/14/03-AR/ - In partial modification of this Department's Notification No. F.17/6/2001/AR, dated 3rd October, 2001 as amended up-to-date, and in exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of section 2 of the Delhi Right to Information Act 2001 (Delhi Act No. 7 of 2001), the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments/additions in Annexure-I and Annexure II appended thereto for the purpose of the said Act, in respect of the Departments/Autonomous Bodies/Local Bodies/Undertakings under its control, namely:-

I. In Annexure-I to the notification dated 03/10/2001, the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
09.	College of Art	Principal
14.	Delhi College of Engineering/ Delhi Technological University	Joint Registrar
24.	Education Department	Additional Director (Admn.) in respect of matters related to Head Quarter, Patrachar, Science & TV, Sports, Physical Education and issues other than those covered by respective districts. Additional Director (Act) in respect of matters relating to aided and unaided schools.
29.	Food & Supplies Department	Additional Commissioner (Admn.)
68.	Department of Social Welfare	Director, DSW

II. In Annexure-I to the notification dated 03/10/2001, the following shall be added, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
79.	Acharya Shree Bhikshu Government Hospital	Medical Superintendent
80.	Attar Sain Jain Eye and General Hospital	Medical Superintendent
81.	Babu Jagjivan Ram Memorial Hospital	Medical Superintendent
82.	Bhagwan Mahavir Hospital	Medical Superintendent
83.	Dr. Hedgewar Arogya Sansthan, Karkardooma	Medical Superintendent
84.	Dr. N.C. Joshi Memorial Hospital	Medical Superintendent
85.	Guru Gobind Singh Government Hospital	Medical Superintendent
86.	Jag Pravesh Chandra Hospital	Medical Superintendent
87.	Lal Bahadur Shastri Hospital	Medical Superintendent
88.	Maharishi Balmiki Hospital	Medical Superintendent

89.	Maulana Azad Institute of Dental Science	Director Principal
90.	Pt. Madan Mohan Malviya Hospital	Medical Superintendent
91.	Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital	Medical Superintendent
92.	Rao Tula Ram Memorial Hospital	Medical Superintendent
93.	Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital	Medical Superintendent
94.	Satyawadi Raja Harish Chander Hospital	Medical Superintendent
95.	Women & Child Development	Director, WCD

III. In Annexure-II to the notification dated 03/10/2001, the following shall be substituted/added, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
38.	Municipal Corporation of Delhi	Deputy Commissioner (L&E) in respect of matters relating to L&E Department
		Deputy Commissioner (F/L) in respect of matters relating to Factory Licensing Department
		Deputy Commissioner (CL & EC) in respect of matters relating to Central Licensing & Enforcement Cell
		Deputy Commissioner (RP Cell) in respect of matters relating to RP Cell
		Deputy Commissioner (Toll Tax) in respect of matters relating to Toll Tax Department
		Deputy Commissioner (Advt.) in respect of matters relating to Advertisement Department
		Director in Chief (DEMS) in respect of matters relating to Sanitation Department
		Director (CSD) in respect of matters relating to Community Services Department
		Chief Labour Welfare Officer in respect of matters relating to Labour Welfare Department
		Director (P&S) in respect of matters relating to P&S Department
		Director (P&I) in respect of matters relating to P&I Department
		Municipal Secretary in respect of matters relating to Municipal Secretary Office
		Secretary to Commissioner in respect of matters relating to Commissioner Office.
		Addl. Deputy Commissioner (HQ) in respect of matters relating to HQ and issue other than those not covered by rest of the Competent Authorities of MCD.
		Director (Personnel) in respect of matters relating to Establishment

		Department
44.	Delhi Urban Shelter Improvement Board	Director (Admn.)
45.	St. John Ambulance Brigade	Director (Health Services)/Ex-Officio Commissioner (St. John Ambulance Brigade)
46.	Sushrta Trauma Centre	Medical Superintendent

IV. In Annexure-II to the notification dated 03/10/2001, the following shall be deleted, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
38.	Municipal Corporation of Delhi	Additional Commissioner (S&JJ) in respect of matters relating to Slum & JJ Department.
		Additional Commissioner (Revenue) in respect of matters relating to Land & Estate Department, Factory Licensing Department, Remunerative Projects Cell, Toll Tax Department, Advertisement Department
		Director (CSE) in respect of matters relating to Sanitation Department
		Additional Commissioner (HQ) in respect of matters relating to Labour Welfare Department, Community Services covered by rest of the Competent Authorities of MCD
		Additional Commissioner (Engineering) in respect of matters relating to Central Establishment Department

by Order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(DR. M.M. KUTTY)
PRINCIPAL SECRETARY (AR)

No. F.17/14/2003-AR/ 557-716/L

Dated: 16/01/12

Copy to:-

1. All Pr. Secretaries/Secretaries/Spl. Secretaries/Joint Secretaries/Additional Secretaries/Deputy Secretaries/Under Secretaries, Govt. of NCT of Delhi
2. All Heads of the Departments, Government of NCT of Delhi
3. All Heads of Autonomous Bodies/Local Bodies/Undertakings and other institutions owned or substantially finance by the Government of NCT of Delhi
4. Pr. Secretary to Lt. Governor/Pr. Secretary to Chief Minister/Secretaries to Ministers, Government of NCT of Delhi
5. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi
6. Dy. Secretary (Coordination), Coordination Branch, General Administration Department, Government of NCT of Delhi for publication in the Delhi Gazette.
7. Librarian, Delhi Legislative Assembly, Delhi.

Bawa
16/1/2012

(SEEMA BAWA)
Deputy Director (AR)
Ph. 23392422

(FOR M.M. KUTTY)
PRINCIPAL SECRETARY (AR)